


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय

आवास फाईनेशियर्स बनाम रमेश व अन्य

प्रकरण संख्या 106 / 2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
11.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से पूर्व में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 103/2024 व उनवानी आवास फाईनेशियर्स बनाम रमेश व अन्य दर्ज किया जा कर दिनांक 06.06.2024 को आदेश पारित किये जा चुके है। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से उसी प्रार्थना पत्र की दूसरी प्रति पुनः पेश की गई है जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत दूसरे प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर </p>	